ग्राम पंचायत बड़ोल, विकास खण्ड संगड़ाह, ज़िला सिरमौर के

लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2015 से 31.03.2018

भाग-I

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, बड़ोल, विकास खण्ड संगड़ाह, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे;

(i) प्रधान

क्रमांक	प्रधान का नाम	कार्यकाल
1	श्री जगत राम	23.01.2011 से 22.01.2015 तक
2	श्री ममता देवी	23.01.2016 से 31.03.2018 तक

(ii) सचिव

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री सत पाल शर्मा	01.04.2015 से 01.03.2017 तक
2.	श्री लायक राम	02.03.2017 से 31.03.2018 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत, बड़ोल के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा नं	राशि (₹) लाखों में
1	गृहकर बकाया राशि वसूली हेतु शेष	6 (क)	0.23
2	मोबाइल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	6 (ख)	0.20
3	अनुदानो की राशी उपयोग हेतु शेष	7	28.62
4	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही निर्माण कार्य सामग्री का क्रय करना	8	7.67
5	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	9	7.67
6	निर्माण कार्यों के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	10 (क)	10.35
7	अंकेक्षण अवधि में मनरेगा योजना के अन्तर्गत खर्च राशि	11	47.97

	को रोकड़ बही में दर्ज न करना		
8	नियमानुसार उचित बिल प्राप्त किये बिना किया गया लाखों रूपये का अनियमित व्यय /भुगतान	13	7.67

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत बड़ोल, विकास खण्ड संगड़ाह, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा अवधि 01.09.2018 से 12 .09.2018 तक के दौरान ग्राम पंचायत बड़ोल के कार्यालय में किया गया। आय एवं व्यय के लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वितीय वर्ष	आय माह	व्यय माह
2015-16	09/2015	01/2016
2016-17	06/2016	08/2016
2017-18	03/2018	08/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत बड़ोल, विकास खण्ड संगड़ाह, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जी.पी.(आडिट)/संगड़ाह/2018-19-14 दिनांक 12.09.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बड़ोल से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत बड़ोल की अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न {**परिशिष्ट-1**} में भी दिया गया है : –

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति राशि (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2015-16	**649317.00**	2039591.00	2688908.00	1506376.18	1182531.82
2016-17	1182531.82	6511013.80	7693545.62	5533113.00	2160432.62
2017-18	2160432.62	5685291.00	7845723.62	4983851.50	**2861872.12**

नोटः-1. सचिव ग्राम पंचायत बड़ोल द्वारा स्वयं के स्त्रोत का हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार पृथक से खाता-"क" खोलकर रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में स्वः स्त्रोत से सम्बन्धित वितीय स्थिति अलग से तैयार नहीं की जा सकी है|

नोटः-2. रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए हैI अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/15 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया|

5 **रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना**

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य है, जबकि पंचायत द्वारा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया जा रहा था, परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के अन्त शेष में दिनांक 31/03/2018 को **₹50.70** का अन्तर पाया गया है जिस बारे जाँच करके वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए : –

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	वितीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	2861872.12	1
2.	बचत बैंक खातों अनुसार अन्तिम शेष	2861841.42	2
3.	कुल अन्तर	**30.70**	
4.	बैंक समाधान विवरणी अनुसार अन्तर	(+)20.00	3
5.	**शेष असमायोजित अन्तर**	**50.70**	

विभिन्न बचत बैंक खातों में 31.03.2018 को जमा राशि का ब्यौरा

अनुदान	बैंक का नाम	बचत खाता नं	31.03.2018
सामान्य निधि	HPSCB, Sangrah	56510102886	830635.52
SBM	---do---	56510112736	400219.00
	सामान्य निधि की रोकड बही अनुसार हस्तगत शेष		**999.00**
BRGF	UCO, Haripurdhar	15150101103238	163053.00
IWMP-VI	---do---	15153211001683	180885.10
14th FC	HPSCB, Sangrah	56510110872	1261033.90
RAY		56510110871	636.90
IAY	---do---	56510102827	24379.00
	बचत बैंक खातों में 31.03.18 को शेष राशि		**2861841.42**

(ख) पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बही का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था। इसमें न तो कोई इति शेष और न ही कोई अंतिम शेष दर्शाया गया था तथा ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही पंचायत के बैंक खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त आय-व्यय तालिका एंव तुलनपत्र की मदें भी विशवसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें

अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ बही का उपरोक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार संधारण करना सुनिश्चित किया जाए|

6 स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय

(क) गृहकर की बकाया ₹0.23 लाख वसूली हेतु शेष

सचिव ग्राम पंचायत बड़ोल द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:**GP(Audit)/ Sangrah/Badol/-2018-19-3** दिनांक 01.09.2018 के प्रतिउत्तर में पत्र **क्रमांक:DNB-123/2018** दिनांक **12.09.2018** {क्रमांक **(2)}** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार गृहकर बकाया **₹23,000** की राशि वसूली योग्य शेष थी, जिसकी शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

वितीय वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर प्रति परिवार (₹)	कुल कर (₹)	प्राप्त राशि (₹)	शेष राशि (₹)
01.04.15	**01.04.2015 को वसूली योग्य शेष राशि/मांग**				**Nil**
2015-16	331	25/-	8275/-	2525/-	5750/-
2016-17	341	25/-	8525/-	------	14275/-
2017-18	349	25/-	8725/-	------	23000/-
		31.03.2018 को गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि			**₹23000/-**

(ख) मोबाइल टावर शुल्क की ₹0.20 लाख की वसूली हेतु शेष

सचिव ग्राम पंचायत बड़ोल द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: GP(Audit)/Sangrah/Badol/-2018-19-3 दिनांक 01.09.2018 के प्रतिउत्तर में पत्र क्रमांक:DNB-123/2018 दिनांक 12.09.2018 {क्रमांक (3)} द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार मोबाइल टावर शुल्क की ₹19,655 वसूली हेतु शेष थी, जिसकी शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

Year/period	Airtel	Remarks
2006	4000/-	स्थापना शुल्क @ 4000/-
2007-2011	10000/-	नवीनीकरण शुल्क 2007 से 2011 तक @2000/-प्रतिवर्ष
2012-2014	7500/-	नवीनीकरण शुल्क 2012 से 2014 तक @2500/-प्रतिवर्ष
2015-16	2500/-	नवीनीकरण शुल्क @ 2500/- प्रतिवर्ष
2016-17	2500/-	नवीनीकरण शुल्क @ 2500/- प्रतिवर्ष
2017-18	3125/-	नवीनीकरण शुल्क @ 3125/- प्रतिवर्ष
Total:-	29625/-	नवीनीकरण शुल्क 01.04.15 से 31.03.18
Less:-	7970/-	दिनांक 31.03.2015 तक प्राप्त राशि
Less:-	2000/-	वर्ष 2015-16 में प्राप्त नवीनीकरण शुल्क की राशि
Balance:-	**19655/-**	**31.03.2018 को प्राप्ति योग्य शेष राशि**

(ग) गृहकर की वसूली दरें निर्धारित न करना तथा उनकी निरन्तर वसूली न करना

ग्राम पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर की वसूली दरों का निर्धारण नहीं किया गया था क्योंकि इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उक्त कर की प्रतिवर्ष निरन्तर वसूली की जा रही थी जोकि उपरोक्त पैरा **6(i)** में दी गई तालिका में वर्णित स्थिति से स्वतः ही स्पष्ट होता है| सचिव ग्राम पंचायत बड़ोल ने अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Sangrah/Badol/-2018-19-3 दिनांक 01.09.2018 के प्रतिउत्तर में पत्र क्रमांक:DNB-123/2018 दिनांक 12.09.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली ₹25 प्रतिवर्ष प्रति परिवार की दर से की जानी दर्शायी गई थी I अतः गृहकर की वसूली दरों को निर्धारित न करने तथा इसकी निरन्तर वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार गृहकर की वसूली दरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित करने के उपरान्त ही इसकी वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए|

(घ) स्वः स्त्रोत आय की मांग एवम प्राप्ति पंजिका का संधारण न करना

सचिव, ग्राम पंचायत, बड़ोल द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व् 74 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए विहित फार्म-10 पर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली सम्भावित आय से सम्बन्धित "मांग एंवम वसूली पंजिका " का संधारण नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण पंचायत को स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय प्राप्त आय व वसूली हेतु शेष बकाया राशि का सही-सही बोध नहीं हो सका तथा ऐसी स्थिति में उपरोक्त पैरा संख्या 6 (i) व् 6(ii) में वसूली योग्य दर्शायी गई शेष राशि का इससे कहीं अधिक होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता| अतः पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके तदानुसार ही देय राशि की वसूली करना सुनिश्चित करे I इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियम की अनुपालना करते हुए "मांग एंवम वसूली पंजिका" का संधारण करना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत को स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय का बोध हो सके व किसी भी प्रकार की हानि की सम्भावना को नकारा जा सके|

7 अनुदानों की राशि ₹28.62 लाख उपयोग हेतु शेष

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31/03/2018 तक अनुदानों से प्राप्त **₹28,61,872** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, परन्तु अनुदानो की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण जहाँ धन का अवरोधन होता है वहीँ सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभों से भी ग्रामीणों को वंचित होना पड़ता है । अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वर्णित अनुपयोग अनुदान का व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये|

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹7.67 लाख की निर्माण कार्य सामग्री का क्रय करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार उप समिति का गठन किये बिना तथा कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही चयनित माह में निम्नतालिकानुसार **₹7,66,827** की निर्माण कार्य सामग्री क्रय करने हेतु व्यय/भुगतान किया गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 67(3)(a) 67(4) व 67(5) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, जिसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में सामग्री का क्रय/व्यय उपरोक्त वर्णित नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करना सुनिश्चित किया जाये : –

दिनांक	**बिल नं0**	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**क्रय सामग्री का विवरण**	**राशि (₹)**
		सामान्य निधि-{08/2016}		
16.08.16	कच्ची रसीद	बुध राम	10 चट्ठे पत्थर	20000/-
---do---	GR-441	चौहान गुड्स केरियर	1 टिप्पर रेत***	10000/-
---do---	GR-445	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
---do---	कच्ची रसीद	सीता राम/ बंसी राम	पत्थर/मात्रा नहीं	12870/-
---do---	कच्ची रसीद	रणदीप/ मोहर सिंह	पत्थर/मात्रा नहीं	11880/-
		सामान्य निधि-{08/2017}		
25.08.17	GR-1705		1 टिप्पर रेत***	10000/-
---do---	GR-1706	------do-----	1 टिप्पर बजरी	11000/-
---do---	GR-1707	------do-----	1 टिप्पर रेत	10000/-
---do---	33	महासू ट्रेडर्स, संगड़ाह	516 kg सरिया	21920/-
---do---	34	------do------	507 kg सरिया	21920/-
		IWMP-VI-{08/2017}		
10.08.17	कच्ची रसीद	प्रकाश चन्द/सोभा राम	7 चट्ठे पत्थर	14000/-
---do---	GR-490	चौहान गुड्स केरियर	1 टिप्पर रेत	10000/-
15.08.17	35	महासू ट्रेडर्स, संगड़ाह	102 kg सरिया	4333/-
		14thFC-{08/2017}		
11.08.17	कच्ची रसीद	चमन लाल/मोहि राम	3 चट्ठे पत्थर	5213/-
---do---	---do---	मोहि राम/चमन लाल	3 चट्ठे पत्थर	3607/-
26.06.17	327	शर्मा स्टील. राजगढ़	एंगल्स/CGIशीट्स	85000/-
---do---	328	------do------	---do---	85000/-
---do---	329	-------do------	---do---	85000/-
		MNREGA-{08/2016}		
30.06.16	GR-209	चौहान गुड्स केरियर	1 टिप्पर रेत	10000/-
01.07.16	GR-210	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
02.07.16	GR-211	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
12.04.16	GR-477	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
17.04.16	42	आर.एल. गुड्स केरियर	1 पिक्कअप रेत	3500/-
18.04.16	43	------do------	1 पिक्कअप रेत	3500/-
19.04.16	44	------do------	1 पिक्कअप रेत	3500/-
20.04.16	45	------do------	1 पिक्कअप रेत	3500/-
21.04.16	46	------do------	1 पिक्कअप रेत	3500/-

23.06.16	GR-202	चौहान गुड्स केरियर	1 टिप्पर रेत	10000/-
24.06.16	GR-203	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
19.07.16	GR-277	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
09.07.16	GR-217	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
10.07.16	GR-218	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
11.07.16	GR-217	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
16.07.16	GR-224	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
17.07.16	GR-225	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
18.07.16	GR-226	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
25.06.16	GR-204	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
26.06.16	GR-205	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
20.07.16	GR-228	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
03.07.16	GR-212	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
04.07.16	GR-213	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
05.07.17	GR-214	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
27.06.16	GR-206	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
28.06.16	GR-207	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
29.06.16	GR-203	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
12.07.16	GR-220	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
13.07.16	GR-221	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
06.07.16	GR-215	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
08.07.16	GR-216	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
14.07.16	GR-222	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
15.07.16	GR-223	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
21.07.16	GR-229	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
22.07.16	GR-230	------do------	1 टिप्पर रेत	10000/-
05.02.16	GR-131	आर.एल. गुड्स केरियर	1 पिक्कअप रेत	3500/-
06.02.16	GR-132	------do------	1 पिक्कअप रेत	3500/-
20.01.16	GR-042	------do------	1 पिक्कअप रोड़ी	3528/-
22.01.16	Gr-043	------do------	1 पिक्कअप रोड़ी	3528/-
24.01.16	GR-068	------do------	1 पिक्कअप रोड़ी	3528/-
			कुल खरीद/अदायगी:-	**766827/-**

{*निर्माण सामग्री की मात्रा Cum./Bag में न दर्शाकर टिप्पर/पिक्कअप में दर्शाना}**

9 क्रय वस्तुओं की स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा क्रय की जा रही निर्माण कार्य सामग्री की मदों का उपयोग स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किये बिना ही किया जा रहा था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है परन्तु पंचायत द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या: 8 में वर्णित तालिकानुसार क्रय की गई मदों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किये बिना ही खपत की गई थी जोकि अनियमित तथा संदिग्ध प्रतीत होती है| अतः उक्त बारे पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त मदों की प्रविष्टियाँ खपत

विवरण सहित सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की जाए, तथा भविष्य में उपरोक्त नियम का निरन्तर पालन करना भी सुनिश्चित किया जाए|

10 अंकेक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करना

(क) निर्माण कार्यों पर खर्च ₹10.35 लाख की राशि से सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन तकनीकी मुल्यांकन इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94, 95, 97, 101 तथा 106 द्वारा विहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाना अपेक्षित है परन्तु सचिव ग्राम पंचायत के पत्र क्रमांक:DNB-122/2018 दिनांक 12.09.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान {चयनित माह} में निम्न विवरणानुसार निष्पादित किये गए विकास कार्यो पर खर्च ₹10,35,200 के प्रकरणों में उक्त नियमानुसार विहित प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया था क्योंकि वर्णित व्यय/भुगतान से सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी मुल्यांकन/माप पुस्तिकाएं, कार्य पूर्ण होने का/उपयोगिता प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए| अतः उक्त अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यदि उपरोक्त व्यय भुगतान बिना तकनीकी मुल्यांकन के ही किया गया है तो उक्त कार्यों का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकन करवाना सुनिश्चित किया जाए और यदि मुल्यांकन पश्चात कोई अनियमिता/अधिक भुगतान पाया जाता है उसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके उपरोक्त समस्त अभिलेखों सहित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए : –

अनुदान	अमुल्यांकित भुगतान	विकास कार्य सूची क्रमांक
GENERAL HEAD	805000/-	क्रमांक 2 से 5
14th FC	230200/-	क्रमांक 6, 7 व् 9
कुल राशि	**₹1035200/-**	**केवल चयनित माह के कार्य का**

(ख) मनरेगा व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

मनरेगा योजना से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कार्य मांग पञ्जीका {Demand Register}, जॉब कार्ड पञ्जीकरण रजिस्टर, मस्ट्रोल जारी करने का रजिस्टर, निर्माण सामग्री जारी करने का रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर इत्यादि अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके अभाव में योजन के अन्तर्गत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए I

11 मनरेगा योजना के अन्तर्गत खर्च ₹47.97 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन न करना

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा योजना से सम्बन्धित रोकड़ बही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई क्योंकि सम्बन्धित रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था, जबकि उक्त अवधि में अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना {Online Financial Statements} के अनुसार निम्न विवरणानुसार ₹47,97,412 का ऑनलाइन भुगतान किया गया था | उक्त व्यय भुगतान को

रोकड़ बही में दर्ज न करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 स्पष्ट अवहेलना है|

वितीय वर्ष	**मजदूरी (₹)**	**सामग्री (₹)**	**कुल भुगतान (₹)**
2015-16	350406/-	------	350406/-
2016-17	1623676/-	699546/-	2323222/-
2017-18	1723071/-	400713/-	2123784/-
Total	**3697153/-**	**1100259/-**	**4797412/-**

अतः उपरोक्त व्यय भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, साथ ही अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बही को पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के साथ–2 भविष्य में रोकड़ बही का नियमानुसार संधारण करना भी सुनिश्चित किया जाए|

12 निर्माण सामग्री की खरीद को उचित मानकों/मात्रा में न दर्शाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त पैरा 8 में वर्णित तालिका अनुसार रेत व् बजरी की खरीदी गई मात्रा को उचित मानकों **Cum/Cft./bag** में न दर्शाकर प्रति टिप्पर/पिक्कअप में दर्शाया गया था जबकि निर्माण कार्यों के प्राक्कलन के अनुसार इनकी खपत{Consumption} Cum में दी गई है| आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रति टिप्पर/पिक्कअप पंचायत को कितनी Cum रेत/बजरी की आपूर्ति की गई थी इस बारे सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, जिसकी अनुपस्थिति में उक्त सामग्री की खरीदी गई मात्रा प्राक्कलन व् तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार सही थी, अथवा नहीं, इस बारे अंकेक्षण सम्बन्धी जाँच पूर्ण नहीं की जा सकी| ऐसे में निर्माण सामग्री के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता I अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान रेत व् बजरी की क्रय व खपत मात्रा, तकनीकी प्राक्कलन/मूल्यांकन के अनुसार सही है अथवा नहीं इस बारे विभागीय स्तर पर पूर्ण छानबीन की जाए तथा अंकेक्षण को तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जाए और यदि जाँच उपरान्त निर्माण सामग्री की क्रय मात्रा प्राक्कलन/मूल्यांकन की मात्रा से अधिक पाई जाती है तो उसके मूल्य की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके पंचायत निधि की भरपाई की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

13 नियमानुसार उचित बिल प्राप्त किये बिना कच्ची रसीद व् Goods Receipts Note पर दर्शाया गया ₹7.67 लाख का अनियमित व्यय/भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (i) व् (2) के प्रावधानों के विपरीत पंचायत द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या:8 में वर्णित तालिका के अनुसार रेत, बजरी व् पत्थर की खरीद हेतु लाखों रूपये का व्यय/भुगतान आपूर्तिकर्ता को कोरे कागज पर तैयार कच्ची रसीद या Goods Receipts Note{GR} को पारित करके दर्शाया गया था, जोकि आपूर्तिकर्ता के उचित बिल के आभाव में अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है| अतः उक्त प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जाँच

की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए या तो आपूर्तिकर्ता से उक्त भुगतान तथा इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों से सम्बन्धित उचित बिल प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए, और उक्त व्यय भुगतान को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा भुगतान उचित न पाए जाने की अवस्था में सम्बन्धित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए I इसके अतिरिक्त भविष्य के लिए इस कार्य प्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

14 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा विहित फार्म-11 मे पंचायत के आय-व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था किन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान उपरोक्त नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार व् पारित नहीं किया गया था जिसके अभाव में पंचायत द्वारा किया गया समस्त व्यय अनियमित है, जिसे अब सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य मे बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार व् पारित करवाकर तदानुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

15 प्राप्त अनुदान के लिए नियमानुसार रसीद जारी न करना

पंचायत के लेखाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों {मुख्यतः RTGS/Online बैंक प्राप्तियों} के लिए रसीदे जारी नहीं की जा रही थी, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत से प्राप्त आय/अनुदान के लिए विहित प्रारूप 3 पर रसीद जारी करना आवश्यक है| अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्राप्ति हेतु प्रारूप 3 पर रसीद जारी करना सुनिश्चित किया जाए|

16 नियमानुसार विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया जा रहा था, जोकि अनियमित है| अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रमांक	वान्छित रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर	
2.	रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी	
3.	चल अचल सम्पत्ति का रजिस्टर	
4.	आकस्मिक व्यय रजिस्टर	
5.	अग्रिमों का रजिस्टर	
6.	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	

7. प्राक्कलन, तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर |
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर|
9. स्टेशनरी रजिस्टर|
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर|
11. इन्वेंटरी रजिस्टर|

17 भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह् बाद प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही थी, जिस बारे स्तिथि स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

18 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह पृथकता से जारी नही कि गयी थी तथा सभी लघु आपतियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था I

19 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है I

हस्ता/—

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 38/2018 खण्ड—1—132—135 दिनांक 7.1.19
शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड संगडाह, तहसील राजगढ, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बड़ोल, विकास खण्ड संगडाह, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881